AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना खन्दौली जनपद आगरा।   दिनांक 19.06.2022

एसओजी टीम व थाना खन्दौली पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लग्जरी कार चोरी की घटनाओं को अन्जाम देने वाले 06 अन्तर्राज्जीय अभियुक्तगण को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 कार चोरी की, 02 तमन्चा मय खोखा कारतूस व 04 अदद फरसानुमा चाकू एवं गाड़ी चोरी करने के उपकरण बरामद......

जनपद में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर के सफल पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना प्रभारी खन्दौली को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 18.06.2022 को एसओजी टीम व थाना खन्दौली पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। झरना नाला के पास पहुंचने पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि वाहन चोरों का एक गिरोह आज आगरा में आया हुआ है और इन्होंने आगरा सहित कई जनपदों में पूर्व में वाहनों की चोरियां की हैं। ये चोरों का गिरोह दो गाड़ियों में इधर की तरफ ही आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर चैकिंग की जाने लगी। कुछ समय बाद दो गाड़ियां आती हुयी दिखायी दीं। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर गाड़ी में सवार व्यक्ति सकपका गये और गाड़ियों को कुछ दूर पहले रोककर पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी हेतु चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया। खुद को घिरा हुआ देख गाड़ियों से उतरकर अभियुक्तगण बाहर आ गये और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से दो अभियुक्तगण द्वारा फायर किया गया एवं अन्य चार अभियुक्तगण द्वारा हाथ में फरसानुमा चाकू से हमला किया, जिसमें पुलिस टीम बाल–बाल बची। पुलिस टीम द्वारा अपने आप का बचाव करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए चारों ओर से घेरकर सभी 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 कार, 02 तमन्चा मय खोखा कारतूस, 04 अदद फरसानुमा चाकू, गाड़ी चोरी करने के विभिन्न उपकरण बरामद हुए।

मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खन्दौली पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 411/413/414/420/468/471/147/148/149/307 भादवि, मु0अ0सं0 207/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 208/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 209/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 210/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 211/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मु0अ0सं0 212/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम अनिल पवार, संदीप नागर, विक्रान्त शर्मा उर्फ विक्की, अतुल यादव, आशुतोष यादव व अंशुमन प्रताप बताया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में बताया गया कि हम सभी लोग मंहगी और लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने व बेचने का काम करते हैं। हमारे पास बरामद चोरी की गाड़ियां थी जिनको आपने रोकने की कोशिश की थी और हम लोग पकड़े जाने के डर से हम भाग रहे थे।

पहली गाड़ी Maruti baleno को खोलकर देखा गया तो गाड़ी में एक काले रंग का बैग रखा हुआ मिला जिसको खोलकर देखा गया तो तमाम उपकरण 1. डिवाइस/स्कैनर (गाड़ी के इंजन इम्मोबिलाइजर की कोडिंग करने में प्रयुक्त होने वाला डिवाइस), 2. एक अदद टार्च रंग काला, 3. एक अदद लाक सैट (मारुति स्विफ्ट का), 4. दो अदद All in Key (सूजानुमा नकली चाभियां), 5. एक अदद लाल तार जिसके एक सिरे पर कनैक्टर व दूसरे सिरे पर सेफ्टीपिन लगा हुआ (पुश बटन वाली गाड़ी को स्टार्ट करने में प्रयुक्त), 6. एक अदद डोरलाक (स्विफ्ट गाड़ी का), 7. एक अदद पेचकस रंग हरा, 8. कुल 11 अदद चाभियां (ब्लैंक की), 9. कुल 10 अदद सैल गाड़ी की चाभियों में पड़ने वाले गोल, 10. एक अदद टूलकिट जिसमें अलग अलग साइज व आकार के पेचकस आदि औजार व 11. एक अदद सब्बल बरामद हुए।

अपराध करने का तरीका :–

हम सभी कभी एक साथ और कभी अलग–अलग होकर गाड़ियों की चोरी करते हैं। चोरी की गाड़ियों की खरीद व बिक्री का काम संदीप नागर करता है। हम सभी लोग दिन में गाड़ियों की रेकी कर लेते हैं। उसके बाद रात में हम लोग यही सब सामान लेकर निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग All in key से गाड़ी का मेन दरवाजा खोलते हैं, अगर कभी दरवाजा न खुले तो हम सब्बल से शीशा तोड़ देते हैं। गाड़ी के लाक को खोलकर हम बोनट खोलते हैं और बोनट में लगे हुए सायरन को तोड़ देते हैं ताकि गाड़ी आवाज न करे। इसके बाद स्टेयरिंग के नीचे लगा हुआ कवर खोलकर कपलर लगाकर गाड़ी के करेन्ट को डायरेक्ट कर देते हैं, जिससे गाड़ी में Ignition आ जाता है। इसके बाद डिवाइस को कपलर में लगाकर गाड़ी की चाभी की प्रोग्रामिंग बना लेते हैं। उसके लिये Blank Key की जरूरत पड़ती है। Blank चाभियों को हम लोग Online मंगवा लेते हैं। ब्लैंक चाभी की प्रोग्रामिंग होते ही गाड़ी उस चाभी से स्टार्ट हो जाती है और हम लोग गाड़ी को ले जाते हैं। इस पूरे काम में हमको 2 से 3 मिनट लगते हैं। गाड़ी को सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद हम लोग उसमें टार्च से जीपीएस ढूंढते हैं, अगर जीपीएस लगा होता है तो उसे तोड़कर फेंक देते हैं और कुछ दिन तक वहीं सुरक्षित जगह खड़ी रखते हैं या जगह बदलते रहते हैं ताकि पकडे न जायें। जीपीएस अक्सर गाड़ी में ऐसी जगह पर लगा रहता है जहां गाड़ी में हमेशा करेन्ट चालू रहता है जैसे कि गाड़ी की रूफलाइट में हमेशा करेन्ट रहता है इसलिये अक्सर जीपीएस के तार रूफलाइट के पास से जुड़े रहते हैं।

गाड़ी चोरी करने के बाद हम लोग गाड़ी को संदीप को बेच देते हैं और संदीप ही ग्राहकों को गाड़ी बेचता है। संदीप हमारे साथ गाड़ी चुराने जाता है। हम पांच लोग गाड़ियों को चुराकर लाने का काम करते हैं। संदीप चोरी की गाड़ियों की खरीद और बिक्री करता है। हम लोगों ने कई

गाड़ियां चोरी की हैं। जो गाड़ी Baleno और Swift आपको हमारे पास से मिली है वह चोरी की है जिनको संदीप के अलावा हम पांचों लोगों ने अलग अलग जगह से चोरी किया था। आज हम लोग चोरी की गाड़ियों का सौदा करने के लिये जा रहे थे, हम पांचों लोग चोरी की गाड़ियों को आज संदीप को बेचने वाले थे। हमारे पास इन दो गाड़ियों के अलावा तीन अन्य चोरी की गाड़ियां भी हैं जो हमने यहीं पास में एक सूनसान स्थान पर छिपा रखी हैं

अभियुक्तगण द्वारा बताये स्थान पर देखा कि उक्त स्थान पर कुल 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। पहली गाड़ी Maruti swift रंग सफेद जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। दूसरी गाड़ी Maruti swift रंग सिलेटी जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। तीसरी गाड़ी Maruti swift रंग नीला जिस पर नंबर प्लेट HR29AR9530 लगी है। गाड़ी से आरसी बरामद हुई जिसको देखकर अभियुक्त अनिल ने बताया कि यह आरसी भी फर्जी है जो मैंने यूट्यूब पर देखकर बनायी है। मैं यूट्यूब पर देखकर फर्जी आरसी कम्प्यूटर पर बना लेता हूँ और प्रिन्ट करके तैयार कर लेता हूँ। फर्जी आरसी पर वही नंबर डालता हूँ जो उसी मॉडल की गाड़ी का होता है। उसी माडल की किसी गाड़ी का नंबर सड़क से देखकर उसके इंजन व चेसिस नंबर नैट पर सर्च कर लेता हूँ और उसी इंजन चेसिस व रजिस्ट्रेसन नंबर की आरसी तैयार कर लेता हूँ। गाड़ी पर लगे हुए फर्जी नंबर प्लेटों के संबंध में पूछा गया तो संदीप के अतिरिक्त पकड़े गये पांच व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि पकड़े जाने से बचने के लिये हम लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाते हैं।

इन गाड़ियों के अलावा भी हमने कई गाड़ियां पूर्व में चोरी की है जिसमें हमारा सहयोग रिजवान पुत्र शकीर निवासी ककोर बुलन्दशहर, ताज, रिंकू निवासी बुलन्दशहर, सरबजीत सरदार निवासी राजौरी नई दिल्ली करते हैं। सरबजीत सरदार चोरी की गाड़ियों को मदन बिहारी निवासी आरा बिहार के माध्यम से बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल व आसाम में सप्लाई करवा देता है।

विशेष :–

अभियुक्तगण से पूछताछ में एक बात बड़ी ही रोचक संज्ञान में आयी कि अभियुक्त अनिल ने अपना कैरियर स्कूटी चुराने से शुरू किया और आज वह लग्जरी कार की डिवाइस द्वारा प्रोग्रामिंग करके चोरी करने लगा साथ ही यू–ट्यूब पर देखकर फर्जी आरसी भी बनाता है। अनिल भारत का सबसे बड़ा गाड़ियों का चोर बनना चाहता था। उसका कहना है कि मैं किसी भी लग्जरी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता हूं तो गाड़ी हाथ जोड़कर खुद खुल जाती है। अनिल दिल्ली के करीब 10 थानों से यूपी के नोएडा के कई थानों, बुलन्दशहर व मथुरा के थानों से जेल जा चुका है। अनिल चोरी की गाड़ियों को बेचकर एक बहुत बडी कोठी बनाना चाहता है।

अभियुक्तगण ज्यादातर एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, गुरूग्राम में ही गाडियों को चोरी के लिए निशाना बनाते हैं। बरामद 05 कारों में से 01 गाजियाबाद व 04 दिल्ली से चोरी की गयी हैं।

अभियुक्त संदीप ने विभिन्न चोरों से गाड़ियां खरीदकर लगभग 500 गाड़ियों को बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब व आसाम में बेच चुका है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. अनिल पवार पुत्र लालबाबू कुमार निवासी आश्रम वाली गली सहकारी नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

02. संदीप नागर पुत्र रामकिशन निवासी गांव जलालपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी हाल निवासी किराये का मकान गांव कुलेसरा थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

03. विक्रान्त शर्मा उर्फ विक्की पुत्र मुकेश कुमार शर्मा निवासी गांव चीती थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर हाल निवासी किराये का मकान बमैटा थाना लालकुंआ जनपद गाजियाबाद।

04. अतुल यादव पुत्र मोहर सिंह यादव निवासी फ्रैन्ड्स कालोनी थाना फ्रैन्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

05. आशुतोष यादव उर्फ दीपू पुत्र स्व0 अनिल यादव निवासी फर्रुखाबाद फाटक अशोक नगर थाना फ्रैन्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

06. अंशुमन प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह सेंगर हाल निवासी सैक्टर 58 गांव विशुनपुरा थाना सैक्टर 58 जनपद गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी गांधीनगर थाना बिधूना जनपद औरैया।

बरामदगी का विवरण :–

01. 05 कार चोरी की।
02. 02 तमन्चा मय 02 खोखा कारतूस,
03. 04 अदद फरसानुमा चाकू
04. डिवाइस/स्कैनर (गाड़ी के इंजन इम्मोबिलाइजर की कोडिंग करने में प्रयुक्त होने वाला डिवाइस),
05. एक अदद टार्च रंग काला,
06. एक अदद लाक सैट (मारुति स्विफ्ट का),
07. दो अदद All in Key (सूजानुमा नकली चाबियां),
08. एक अदद लाल तार जिसके एक सिरे पर कनैक्टर व दूसरे सिरे पर सेफ्टीपिन लगा हुआ (पुश बटन वाली गाड़ी को स्टार्ट करने में प्रयुक्त),
09. एक अदद डोरलाक (स्विफ्ट गाड़ी का),
10. एक अदद पेचकस रंग हरा,
11. कुल 11 अदद चाबियां (ब्लैंक की),
12. कुल 10 अदद सैल गाड़ी की चाबियों में पड़ने वाले गोल,
11. एक अदद टूलकिट जिसमें अलग अलग साइज व आकार के पेचकस आदि औजार व
12. एक अदद सब्बल

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

अभियुक्त अनिल पवार

01. मु0अ0सं0 206/22 धारा 411/413/414/420/468/471/147/148/149/307 भादवि थाना खन्दौली जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 207/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।

03. मु0अ0सं0 828/21 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णा नगर दिल्ली।

04. मु0अ0सं0 37267/18 धारा 379/411 भादवि थाना फर्श बाजार दिल्ली।
05. मु0अ0सं0 1700/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात दिल्ली।
06. मु0अ0सं0 32833/17 धारा 379/411 भादवि थाना फर्श बाजार दिल्ली।
07. मु0अ0सं0 40760/17 धारा 379/411 भादवि थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली।
08. मु0अ0सं0 27999/16 धारा 379/411/34बी भादवि थाना आनन्द विहार दिल्ली।
09. मु0अ0सं0 33414/16 धारा 379/411/34बी भादवि थाना जामा मस्जिद दिल्ली।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्त संदीप नागर

01. मु0अ0सं0 208/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 764/21 धारा 379/411/34बी भादवि थाना पाण्डव नगर दिल्ली।
03. मु0अ0सं0 19248/21 धारा 379/411 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली।
04. मु0अ0सं0 765/15 धारा 365/392/394/120बी थाना सरिता विहार दिल्ली।
05. मु0अ0सं0 334/11 धारा 379/411/34 भादवि थाना माण्डवली दिल्ली।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्त विक्रान्त शर्मा

01. मु0अ0सं0 209/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्त अतुल यादव

01. मु0अ0सं0 210/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्त अंशुमन प्रताप

01. मु0अ0सं0 211/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।
02. 765/15 धारा 365/392/394/120बी थाना सरिता विहार दिल्ली।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्त आशुतोष यादव

01. मु0अ0सं0 212/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खन्दौली जनपद आगरा।
10. मु0अ0सं0 721/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम दिल्ली।
11. मु0अ0सं0 13784/22 धारा 379 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 16533/22 धारा 379 भादवि थाना राजौरी गार्डन दिल्ली।

अभियुक्तगण के अन्य थाना, जनपद व राज्यों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप दीक्षित एसओजी टीम जनपद आगरा।
02. थानाध्यक्ष श्री आनन्दवीर सिंह थाना खन्दौली जनपद आगरा।
03. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना खन्दौली जनपद आगरा।
04. उ0नि0 अक्षय राणा थाना खन्दौली जनपद आगरा।
05. है0का0 बीरेन्द्र सिंह, है0का0 सूर्यप्रताप सिंह, है0का0 आशीष शुक्ला, का0 विपिन कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 वसीम अकरम, का0 राकुल, का0 मानवेन्द्र उपाध्याय एसओजी टीम जनपद आगरा।
06. का0 आदेश कुमार, का0 अंकित तालान, का0 गौरव कुमार व का0 निखिल कुमार थाना खन्दौली जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।